

### INDIA NON JUDICIAL

# **Government of National Capital Territory of Delhi**

#### e-Stamp

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

:2021 01:48 PM 30-Nov-2021 01:48 PM 30-Nov

Description of Document

**Property Description** 

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-DL57123593484707T

30-Nov-2021 01:48 PM

IMPACC (IV)/ dl1048003/ DELHI/ DL-DLH

SUBIN-DLDL104800306820559416356T

NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION

Article 5 General Agreement

Not Applicable

(Zero)

NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION

Not Applicable

NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION

(Fifty only)





Please write or type below this line

### LICENSE AGREEMENT

**BETWEEN** 

### NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION

20-22, Zamroodpur Community Centre, Kailash Colony Extension, New Delhi 110048

AND

# M/s. Hexorp Industries Private Limited

Reregistered Office at House No. 84/1, Headingly Estate, Mall Road, Tallital, Nainital–263002 (Uttarakhand)

HEXORP INDUSTRIES PVT LIMITED

Directon



- 1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Folding Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.

  2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

  3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

# लाइसेंस करार / LICENSE AGREEMENT

यह लाइसेंस करार दिनांक								
This	LICENSE	AGREEMENT	is	made	this	19th	day	of
January								

## के मध्य /BETWEEN

जिसमें <u>प्रथम भाग</u> में **नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन**, डीएसआईआर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है जिसका पंजीकृत कार्यालय 'अनुसंधान विकास' 20-22, जमरूदपुर सामुदायिक केंद्र, कैलाश कॉलोनी विस्तार, नई दिल्ली 110048 में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'लाइसेंसदाता' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में हितधारी उत्तराधिकारी और समुनदेशिती भी सम्मिलित हैं)

NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION, an Enterprise of DSIR, Ministry of Science & Technology, Government of India, dealing within the meaning of and registered under the Companies Act, 2013 having its Registered Office at 'Anusandhan Vikas' 20-22, Zamroodpur Community Centre, Kailash Colony Extension, New Delhi 110 048 (hereinafter called 'The Licensor' which expression shall include its successor-ininterest and permitted assigns) of the ONE PART.

# और/AND

दूसरे भाग में श्री अक्षत शाह पुत्र श्री मारुति नंदन शाह, निवासी मकान संख्या 84/1, हेडिंगली एस्टेट, माल रोड, तल्लीताल, नैनीताल-263002 (उत्तराखंड) और मेसर्स हेक्सोर्प इंडस्टीज प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन संख्या: U74999UR2018PTC009323) के निदेशक हैं तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय भी मकान संख्या 84/1, हेडिंगली एस्टेट, माल रोड, तल्लीताल, नैनीताल-263002 (उत्तराखंड) में स्थित है (जिसे इसके पश्चात लाइसेंसधारी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में इसके हितधारी उत्तराधिकारी /व्यापारी और अनुमित प्राप्त समनुदेशिती भी शामिल हैं)।

Shri Akshat Shah S/o Shri Maruti Nandan Shah, Resident of House No. 84/1, Headingly Estate, Mall Road, Tallital, Nainital-263002 (Uttarakhand) Director of M/s. Hexorp Industries Private Limited (CIN Number: U74999UR2018PTC009323) and having registered Office at House No. 84/1; Headingly Estate, Mall Road, Tallital, Nainital-263002 (Uttarakhand) (hereinafter called the LICENSEE' which expression shall include its successor-in-interest/business and permitted assigns) of the OTHER PART.

NIT LIMITED

तथापि, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, स्लीपी हॉलो, नैनीताल - कलादंगी रोड, अयारपट्टा, नैनीताल -263001 , उत्तराखंड (जिसे इसके पश्चात 'कुन' कहा गया है), जिसकी स्थापना 1973 में यू.पी. स्टेट एक्ट के तहत की गई है तथा जिसने वस्तु के विनिर्माण हेतु तकनीकी जानकारी व प्रविधि (जैसा कि अनुसूची- II में वर्णित है) का विकास किया है ।

WHEREAS Kumaun University, Sleepy Hollow, Nainital - Kaladungi Road, Ayarpatta, Nainital-263001, Uttarakhand (hereinafter called 'KUN') is established in 1973 under the U.P. State Act and developed the KNOWHOW and PROCESS (as defined in Schedule II) for manufacture of ARTICLE.

तथापि लाइसेंसदाता भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कंपनी है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी और इंजीनियरी जानकारी सहित प्रौद्योगिकियों, तकनीकी जानकारियों और आविष्कारों का विकास, संवर्धन, लाइसेंसिंग और वाणिज्यिक समुपयोजन करना है।

WHEREAS the Licensor is a Company established by the Government of India with the object, inter-alia, of development, promotion, licensing and commercial exploitation of technology, KNOWHOW and inventions, including the technical and engineering know-how.

तथापि लाइसेंसदाता ने जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (एनएमएचएस-पीएमयू, एनआईएचई) में राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन की परियोजना प्रबंधन इकाई से स्वामित्व अर्जित किया है तथा अब वह वस्तुओं के विनिर्माण के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित तकनीकी जानकारियों और प्रक्रियाओं दोनों का पूर्ण स्वामी है।

WHEREAS the Licensor has acquired from Project Management Unit of National Mission on Himalayan Studies at G. B. Pant National Institute of Himalayan Environment (NMHS-PMU, NIHE) the ownership and is now the absolute owner of the KNOWHOW pertaining to the PROCESS together with the intellectual property rights in the KNOWHOW and the PROCESS, for manufacture of the ARTICLE.

तथापि लाइसेंसधारी ने, तकनीकी जानकारियों तथा उनके आगे विकास में लाइसेंसदाता के ऐसे पूर्ण स्वामित्व को जानते और स्वीकार करते हुए, वस्तु के विनिर्माण की तकनीकी जानकारियों और प्रक्रियाओं का प्रयोग, समुपयोजन और उपयोग करने तथा इस प्रकार विनिर्मित वस्तुओं को वाणिज्यिक दृष्टी से बेचने और विक्रय करने के लिए लाइसेंस हेतु लाइसेंसदाता से संपर्क किया है|

WHEREAS the Licensee acknowledging and accepting such absolute ownership of the Licensor in the KNOWHOW, has approached the Licensor for licence to use, exploit and

ADVOLTE Regd. No. 163233020 EXP.:36:01/2025

HEXORP INDUSTRIES

practice the KNOWHOW and the PROCESS of manufacture of the ARTICLE and to sell and vend commercially ARTICLE so manufactured.

तथापि अपने उद्देश्यों का आगे विकास करने के लिए लाइसेंसदाता लाइसेंसधारी को प्रसंविदाओं और इसके पश्चात् अंतर्विष्ट शर्तों के मध्यधीन ऐसा लाइसेंस प्रदान करने के लिए सहमत है|

**AND WHEREAS** the Licensor in furtherance of its objectives is agreeable to grant to the Licensee such Licence subject to covenants and conditions hereinafter contained.

अब पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नानुसार सहमति व्यक्त की गई है:

# NOW IT IS AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES AS FOLLOWS:

## 1. निर्वचन /INTERPRETATION

इससे संबंधित संदर्भ के अध्यधीन, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का ऐसा अर्थ निकाला जाएगा और निर्वचित किया जाएगा जिससे कि उसका निम्नलिखित अर्थ होगा:

Subject to the context hereof, the following words and expressions shall be construed and interpreted, so as to have the following meanings:

क. 'वस्तु' से अभिप्रेत है ऐसी वस्तु/पदार्थ/उत्पाद को बेचने और उसका विक्रय करने के आशय से तकनीकी जानकारी के पूर्णतः अथवा अंशतः प्रयोग, उपयोग और/अथवा व्यवहार द्वारा उत्पादित, निर्मित अथवा विनिर्मित वस्तु अथवा पदार्थ अथवा उत्पाद (इसमें अनुसूची-1 में वर्णित), तथा इसे ऐसी कोई वस्तु, पदार्थ अथवा उत्पाद भी शामिल होगा जिसमें उसके अवयव अथवा भाग के रूप में तकनीकी जानकारी के प्रयोग/व्यवहार द्वारा निर्मित अथवा विनिर्मित वस्तु अथवा जो कोई मध्यवर्ती अथवा व्युत्पन्न वस्तु, पदार्थ अथवा उत्पाद है तथा साथ ही आगे के विकास कार्य से उत्पन्न होने वाले उनमें से किसी के आशोधन, विकास अथवा सुधार शामिल हैं

A. "ARTICLE" shall mean the article or substance or product (described in Schedule-I hereto) produced, made or manufactured by use, exercise and/or practice of the KNOW-HOW, wholly or partially, with the intent to sell and vend such article/substance/product commercially, and shall include any other article, substance or product which has as its component or part thereof the article made or manufactured by use/exercise of the KNOWHOW or which is an intermediate or derivative article, substance or product as well as modifications, developments or improvements of any of them.

ख. 'प्रभावी तारीख' का अर्थ बाइस्रेस समझौत पर हस्ताक्षर करने की तिथि से होगा।

B. "EFFECTIVE DATE," shall mean the date of signing the Licence Agreement.

- ग. 'सुधारों' का अर्थ ऐसी तकनीकी जानकारी और/अथवा प्रक्रिया और/अथवा वस्तु के सभी परि करण, विकास और परिवर्धन हैं जो किसी आगे विकास कार्य अथवा अन्यथा से उनमें उत्पन्न होने वाली किसी तकनीकी, आर्थिक और/अथवा अन्य विशेषताओं में सुधार करने के लिए समर्थ है तथा 'विकास' का भी तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा।
- C. "IMPROVEMENTS" shall mean all refinements, developments, and alterations of and in the KNOWHOW and/or PROCESS and/or the ARTICLE capable of improving the technical economic and/or other characteristic(s) of any of them and "development" shall also be construed accordingly.
- घ. 'तकनीकी जानकारी' से अभिप्रेत है प्रौद्योगिकी, तकनीकी जानकारी, तकनीकी ज्ञान, सूचना और आंकड़े (इसकी अनुसूची-|| में वर्णित)|
- D. "KNOW-HOW" shall mean the technology, technical Know-how, the technical knowledge, information and data (described in Schedule-II hereto).
- ड. 'प्रक्रिया' से अभिप्रेत है तकनीकी जानकारी के प्रयोग, उपयोग और व्यवहार द्वारा वस्तु के उत्पादन अथवा विनिर्माण की प्रक्रिया, पद्घति अथवा रीति तथा इसमें उसका कोई सुधार, विकास अथवा संशोधन भी शामिल होगा।
- E. "PROCESS" shall mean the process, method or manner of manufacture of production of the ARTICLE by use, exercise and practice of the KNOWHOW and shall include any improvements, developments or modifications thereof.
- च. 'संयंत्र' से अभिप्रेत है इस लाइसेंस के प्रयोजनों के लिए स्थापित किया गया कोई कारखाना, सुविधा, कार्य अथवा परिसर F. "PLANT" shall mean a factory, facility, works or premises set up or used for any of the purposes of this Licence.

# 2. लाइसेंस प्रदान करना / GRANT OF LICENCE

इसमें इसके पश्चात् उपबंधित एकमुश्त प्रीमियम और रॉयल्टी के माध्यम से लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंसधारक का रु.22,40,000.00 (केवल बाईस लाख चालीस हजार रुपये) जी एस टी सहित (एकमुश्त प्रीमियम 22,00,000/-रुपए + 2,40,000/-रुपए @ 12%) के भुगतान पर विचार करते हुए तथा लाइसेंसधारी द्वारा यहां इसके पश्चात् अंतर्विष्ट प्रसंविदाओं और शर्तों के लाइसेंसधारी द्वारा आगे और सम्यक्र और निष्ठापूर्ण अनुपालन और निष्पादन को ध्यान में रखते

हुए, लाइसेंसदाता एतद्दवारा लाइसेंसधारी को वस्तुओं के विनिर्माण की प्रक्रियाओं और तकनीकी जानकारी का प्रयोग और व्यवहार करने तथा यहां इसके उपरांत निबंधन और शर्तों पर वस्तु को वाणिज्यिक रूप से बेचने और उसका विक्रय करने

के लिए लाइसेंस प्रदान करता है।

In consideration of the payment of Rs.22,40,000/- (Rupees Twenty Two Lakh Forty Thousand Only) along with GST (Lumpsum Premium Rs. 20,00,000 + Rs. 2,40,000 @ 12%) as applicable by the Licensee to the Licensor on or before the execution of these presents as and by way of premium hereinafter provided and in further consideration of due and faithful observance and performance by the Licensee of the covenants and conditions hereinafter contained, the Licensor hereby grants to the Licensee the Licence to use and practice the KNOWHOW and the PROCESS to manufacture the ARTICLE and to sell and vend the article commercially on the terms and conditions herein provided.

## 3. लाइसेंस की अवधि / DURATION OF THE LICENCE

यह लाइसेंस प्रभावी तारीख को प्रवृत्त होगा तथा यह इसमें अंतर्विष्ट प्रसंविदाओं और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी तारीख से 10 वर्ष की अविध के लिए अथवा खंड 5(ii) के निबंधनों के अनुसार लाइसेंसदाता को रॉयल्टी का संदाय करने की लाइसेंसधारी के दायित्व के प्रोद्भूत होने से 10 वर्ष की अविध के लिए, जो भी अधिक हो, प्रवृत्त रहेगा।

This Licence shall come into force on the EFFECTIVE DATE and subject to covenants and conditions herein contained, will remain in force for a period of **10 (Ten)** years from the effective date or for a period of **Ten** years commencing from the accrual of the Licensee's obligation to pay Royalty to the Licensor, in terms of Clause 5(ii) hereof, whichever is later.

### 4. प्रसंविदाएं /COVENANTS

- क. एतद्द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है, तथा यह सदैव ही अपनी प्रकृति में कड़ाई से गैर-अंतर्वेशी रहेगा और लाइसेंसदाता अपने विवेकानुसार किसी भी समय किसी भी रीति में तकनीकी जानकारी का प्रयोग और व्यवहार करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अथवा अनुमित प्रदान कर सकेगा।
- A. The Licence hereby granted is and shall always be strictly non-exclusive in its nature and Licensor may, at its discretion grant to any other person a Licence or permission to use and practice the KNOWHOW in any manner and at any time.
- ख. लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता की पूर्व लिखित सहमति बिना संयंत्र के बाहर वस्तु के विनिर्माण के लिए तकनीकी जानकारी और/अथवा प्रक्रिया का प्रयोग अथवा व्यवहार नहीं करेगा।

B. The Licensee shall not use and practice the KNOWHOW and/or the PROCESS for manufacture of the ARTICLE outside the PLANT without the prior written consent of

the Licensor.

Regd. No. 169200 2020 ST. LIMITED

- ग. लाइसेंस का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा तथा यह केवल वस्तु के विनिर्माण और विक्रय के प्रयोजनार्थ ही होगा | हालाँकि, प्रत्येक निर्यात आदेश की स्वीकृति के 30 दिनों के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लाइसेंस के तहत निर्यात किया जा सकता है।
- C. This Licence shall extend to the whole of India, only for the purpose of the manufacture and sale of the ARTICLE. The ARTICLE may, however, be exported under intimation to Licensor within 30 days of acceptance of each export order.
- घ. तथापि, लाइसेंसी किसी भी समय लाइसेंसदाता की पूर्व लिखित सहमित के बिना किसी तीसरे पक्ष अथवा व्यक्ति को तकनीकी जानकारी और/अथवा प्रक्रिया का प्रकटन नहीं करेगा तथा किसी भी ऐसे प्रकटन के विरूद्घ समस्त संभव सावधानी बरतेगा।
- D. The Licensee shall not at any time disclose the KNOWHOW and/or the PROCESS to any third party or person, without prior written consent of the Licensor and shall take all possible precaution against any such disclosure.
- ड. लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता की पूर्व लिखित सहमित के बिना तकनीकी जानकारी और/अथवा प्रक्रिया के कब्जे को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से समनुदेशित, अंतरित, विलंगमित, गिरवी, परिवर्तित अथवा उप-लाइसेंसकृत नहीं करेगा।
- E. The Licensee shall not assign, transfer, encumber, mortgage, charge or sub-licence or part with possession of the, KNOWHOW and/or PROCESS, wholly or partially, without the prior written consent of the Licensor.
- च. लाइसेंसधारी इसके उपरांत किसी भी समय इस लाइसेंस अथवा इसके अंतर्गत इसके किसी भी दायित्व की विधिकता, वैधता अथवा प्रवर्तनीयता से इंकार नहीं करेगा अथवा उस पर विवाद नहीं करेगा।
- F. The Licensee shall not at any time hereafter deny or dispute the legality, validity or enforceability of this Licence or any of its obligations hereunder.
- छ. लाइसेंसधारी इसके पश्चात् किसी भी समय लाइसेंसदाता की संपूर्ण संपत्ति सिहत तकनीकी जानकारी और/अथवा प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र, अनन्य अथवा किसी अन्य अधिकार का दावा नहीं करेगा।
- G. The Licensee shall not at any time hereafter claim any independent, exclusive or any other right to the KNOWHOW and/or PROCESS, including the non-exclusive property of the Licensor.

ज. लाइसेंसधारी को तकनीकी जानकारी के अनुस्पा वस्तुओं का विनिर्माण जारी रखने तथा इसकी वैधता की समाप्ति के पश्चात्र इस लाइसेंस करार के निब्धान के अनुसार इसके द्वारा अर्जित समस्त तकनीकी सूचना और अनुभव के लाभों को

ADVOCATE
Regd. No. 163223020
Exp.: 36-91/2025

जारी रखने का अधिकार केवल लाइसेंसदाता द्वारा यथाविनिर्मित निबंधन और शर्तों पर इस लाइसेंस करार की वैधता के नवीकरण के पश्चात् ही होगा। लाइसेंस करार के नवीकरण के बिना लाइसेंसधारी के पास "कुमाऊं विश्वविद्यालय", नैनीताल, उत्तराखंड की तकनीकी जानकारी प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तु के विनिर्माण और विक्रय को जारी रखने का अधिकार नहीं होगा।

- H. The Licensee shall have the right to continue manufacture of the Article in accordance with the KNOWHOW and the benefits of all technical information and experience acquired by it in terms of this Agreement after expiry of its validity, only after the renewal of this Agreement on the terms and conditions as may be decided by the licensor. Without the renewal of the licence agreement the licensee shall not have right to continue manufacturing and sale of the article under the said process know-how of "Kumaun University", Nainital, Uttarakhand.
- झ. लाइसेंसधारी अपनी प्रौद्योगिकी अथवा तकनीकी जानकारी अथवा आविष्कार के रूप में तकनीकी जानकारी/प्रक्रिया को प्रतिरूपित अथवा उसे आगे प्रदान करने का प्रयत्न नहीं करेगा।
- I. The Licensee shall not represent or threaten to pass off the KNOWHOW/PROCESS as its own technology or KNOWHOW/PROCESS.
- ञ. लाइसेंसधारी के लिए यह अनुमित नहीं होगी कि वह अपनी स्वयं की तकनीकी जानकारी का प्रयोग करने अथवा उक्त तकनीकी जानकारी/प्रक्रिया में कोई सुधार करने की दलील पर अथवा इस दलील पर कि उक्त तकनीकी जानकारी/प्रक्रिया के अंतर्गत विनिर्मित की जाने वाली वस्तुएं किसी भिन्न प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए विनिर्मित की गई हैं, खंड 5 के अंतर्गत उद्भूत होने वाली रॉयल्टी के संदाय से किसी छूट अथवा उसमें किसी कटौती का दावा करें तथा लाइसेंसधारी उसके द्वारा विनिर्मित की गई सभी वस्तुओं के लिए जो इस करार द्वारा शामिल की गई हैं रॉयिल्टयों के संदाय का दायी होगा भले ही कोई ऐसी दलील दी जाए कि उन्हें उक्त तकनीकी जानकारी/प्रक्रिया अथवा अन्यथा द्वारा विनिर्मित किया गया है।
- J. It will not be open to the Licensee to claim any exemption from or reduction in the payment of royalty accruing under clause 5 on the plea of having used their own KNOWHOW or having effected any improvement upon the said KNOWHOW and PROCESS or on the plea that the article to be manufactured under the said KNOWHOW and PROCESS have been manufactured by using a different KNOW-HOW/PROCESS and the Licensee shall be liable for the payment of the royalties for all the articles manufactured by them and covered by this agreement irrespective of any plea whether the same have been manufactured by the said KNOWHOW/PROCESS or otherwise.

ew Delhi

- ट. इस खंड 4 में अंतर्विष्ट प्रसंविदाएं इस लाइसेंस करार की समाप्ति और/अथवा रद्द करने का बचाव करेंगी |
- K. The covenants contained in this Clause 4 shall survive the expiry and or termination of this Licence.

## 5. भुगतान दायित्व/ PAYMENT OBLIGATIONS

एतद्दवारा प्रदान किए गए लाइसेंस पर विचार करते हुए, लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता को निम्नलिखित का भुगतान करेगा: In consideration of the Licence hereby granted the Licensee shall pay to the Licensor:

- (i) लाइसेंस समझौते के निष्पादन के समय निष्पादन के पश्चात **रु. 20,00,000.00 (केवल बीस लाख रूपए**) की राशि का प्रीमियम उस पर जीएसटी (जैसा लागू हो, वर्तमान में @ 12%) के साथ।
- (i) Premium of a sum of **Rs. 20, 00,000/- (Rupees Twenty Lakh Only)** along with GST (as applicable, presently @ 12 %) on or before execution of the licence agreement.
- (ii) प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिवस तथा अक्तूबर के प्रथम दिवस को नियमित और ठीक समय पर तथा किसी भी स्थिति में प्रत्येक ऐसे वर्ष के मई के प्रथम दिवस और नवम्बर के प्रथम दिवस से पश्चात् वस्तु के कारखाने से बाहर विक्रय मूल्य पर 5 % की दर से रॉयल्टी | परंतु यह कि इस उपखंड (ii) के अंतर्गत और इसके निबंधनों के अनुसार रॉयल्टी का संदाय करने की लाइसेंसधारी की देयता संयंत्र में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वस्तु के विनिर्माण के प्रारंभ से प्रोद्रभूत होगी तथा ऐसे प्रारंभन से 10 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक जारी रहेगी |
- (ii) Royalty @ 5 % on the ex-factory sale price along with GST as applicable for the time being of the ARTICLE, on the first day of April and on the first day of October every year regularly and punctually and in any event not later than the first day of May and first day of November immediately following, in every such year. PROVIDED that the liability of the Licensee to pay royalty under and in terms of this sub-clause (ii) shall accrue upon the commencement of the manufacture of the ARTICLE for commercial purposes at the PLANT including for any usage of the article by the Licensee and shall continue for a minimum period of **Ten** years from such commencement.
- (iii) लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंसदाता को संदेय प्रीमियमों और रॉयल्टियों पर 12% और/या समय-समय पर की गई कोई वृद्घि की दर से माल और सेवा कर (जीएसटी)।

(iii) GST @ 12.00% and/or any increase from time to time on the Premium and Royalty payable by Licensee to the Dicensor.

- (iv) प्रथम छह माह के लिए प्रतिवर्ष 18 % की दर से तथा पश्चात्वर्ती छह माहों के लिए 24 % की दर से ब्याज तथा यदि भुगतान में चूक की जाती है, तो लाइसेंसदाता द्वारा ऐसी राशियों की वसूली/प्राप्ति किए जाने तक भुगतानों की देय तारीखों से समस्त बकाया राशियों पर (जिसमें बकायों पर ब्याज भी शामिल है) 30 % का ब्याज | परंतु यह कि बकाया राशि के ब्याज पर ब्याज भुगतान के देय बनने की तारीख से 30 दिन की अवधि की समाप्ति तक प्रभारित नहीं किया जाएगा |
- (iv) Interest @ 18% per annum for the first six months and for the subsequent six months shall be @ 24% per annum and if default persists then shall be @ 30% per annum on all overdue amounts (including any interest in arrear) from the due dates of payments till realization/recovery of such amounts by the Licensor. Provided that interest on interest in arrear shall not be charged until the expiry of the period of 30 days from the date of payment becoming due.
- (v) ऊपरोक्त उप-पैरा (iv) में वर्णित किए गए ब्याज का समायोजन लाइसेंसदाता द्वारा लाइसेंसधारी से प्राप्त संदाय में पहले किए गए तथा उसके बाद शेष राशियों को देय रॉयल्टियों में से समायोजित किया जाएगा।
- (v) The interest enumerated in sub paragraph (iv) herein above shall be adjusted first by the Licensor against payment received from the Licensee and the residual amount shall then be adjusted against the royalties due.

# स्पष्टीकरण /EXPLANATION:

# रॉयल्टी के परिकलन के प्रयोजनार्थ / For the purposes of computation of royalty;

- (vi) 'वस्तु का विनिर्माण' का अर्थ उस समय प्रारंभ अथवा किया गया माना जाएगा जब ऐसी वस्तु विपणन योग्य/उपभोग योग्य/प्रयोग योग्य स्थिति में होगी (जिसमें भण्डारण में रखी अथवा लाइसेंसधारी के स्वयं के उपयोग अथवा अन्यथा के लिए तैयार वस्तु भी शामिल है)।
- (vi) "The manufacture of the ARTICLE" shall deem to commence or take place when such ARTICLE is in a marketable/consumable/usable state (including the ARTICLE in storage or ready for the Licensee's own use or otherwise).

कारखाने से बाहर विक्रय मूल्य' समय-समय पर घोषित किया गया तथा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत प्राधिकारी अथवा भारत सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा स्वीकार्य किया गया कुल मूल्य माना जाएगा अथवा ऐसी घोषणा की अनुपस्थिति में, जैसािक इस संबंध में व्यापार अथवा जनता के लिए प्रकािशत/संप्रेषित किया गया है; खंड 5 के उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक मूल्य छह माह की ऐसी अविध के दौरान घोषित/प्रकािशत/संप्रेषित उच्चतम मूल्य माना जाएगा जिसके लिए रॉयल्टी का परिकलन किया जाना है (किसी छूट अथवा कमी के कारण उसमें से कोई कटौती किए बिना)।

प्रिया क्रमा के कारण उसम स काई कटाता कि

HEXORP INDUSTRIES

- (vii) "Ex-factory sale price" shall deem to be the total price from time to time declared to, and accepted by, the authority under the Central Excise & Salt Act, 1944 or any other authority of the Government of India, or, in the absence of such declaration, as published/communicated to the trade or the public in this behalf; the price relevant for the purpose of sub-clause (ii) of Clause 5 is deemed to be the highest price so declared/published/communicated during the six months period for which the royalty is to be calculated (without any deduction being made there from on account of any discount or rebate whatever).
- इस खंड 5 के अंतर्गत देय सभी भुगतान विनिर्धारित तारीख से 30 दिन के भीतर किए जाएंगे तथा उनमें कोई (viii) कटौती, उन्हें रोका जाना अथवा समायोजन नहीं किया जाएगा सिवाए विधि द्वारा अपेक्षित परिमाण के |
- (viii) All payments due under this Clause 5 shall be made within 30 days from the stipulated dates and without any deduction, withholding or adjustment except to the extent required by law.
- रॉयल्टी की विवरणियों के साथ विचाराधीन अवधि की माल और सेवा कर (जीएसटी) विवरणियां भी संलग्न की (ix) जाएंगी।
- The Royalty Returns shall accompany by Goods and Service Tax (GST) Returns for (ix) the period(s) under consideration.
- अभ्यावेदन और परिवचन / REPRESENTATIONS AND UNDERTAKINGS 6.
- लाइसेंसदाता द्वाराः
- **BY Licensor:**

lew-Delhi

(i)

लाइसेंसदाता प्रभावी तारीख से 180 दिन के भीतर लाइसेंसधारी को तकनीकी जानकारी से और संबंधित प्रक्रिया से जुड़ी सूचनाओं, आंकड़ों और दस्तावेजों का प्रकटन करेगा अथवा प्रकटन कराएगा अथवा उपलब्ध कराएगा अथवा उपलब्ध कराना कारित करेगा परंतु यह कि ऐसी सूचना, आंकड़ें अथवा प्रलेखीकरण लाइसेंसदाता द्वारा लाइसेंसधारी को विभिन्न खंडों/किश्तों में प्रकट/उपलब्ध कराई जाएगी लेकिन यह लाइसेंस के इस प्रयोजन के लिए उँसके द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए लाइसेंसधारी को समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त होगी।

The Licensor shall within 180 days from the EFFECTIVE DATE disclose or cause to be disclosed, or provide or cause to be provided, as the case may be, to the Licensee, the information, data and documents concerning the KNOWHOW and the related PROCESS provided that such information, data or documentation may be so DEVELOP

disclosed/provided by the Licensor to the Licensee in different lots/installments but sufficient to enable the Licensee to use them for this purpose of the Licence.

- (ii) लाइसेंसदाता लाइसेंसधारी के अनुरोध पर, तकनीकी जानकारी के उस स्तर पर जिस पर इसे विकसित किया गया है, कार्य करने का प्रदर्शन, जैसा यह उपयुक्त समझे, करेगा अथवा प्रदर्शन किया जाना कारित कराएगा।
- (ii) The Licensor shall at the request of the Licensee, demonstrate or cause to be demonstrated, as it considers appropriate, the working of the KNOWHOW on the scale at which it has been developed.
- (iii) लाइसेंसदाता प्रलेखीकृत रूप में लाइसेंसधारी को यथासंभव अधिकतम परिमाण में तकनीकी जानकारी अथवा प्रक्रिया अथवा वस्तु में "कुमाऊं विश्वविद्यालय" द्वारा किए गए किसी सुधार, विकास अथवा आशोधन का प्रकटन करेगा जो तकनीकी जानकारी और/अथवा प्रक्रिया के एकीकृत भाग के रूप में लाइसेंसधारी के लाभ के लिए लाइसेंसदाता द्वारा कराए गए हैं।
- (iii) The Licensor shall disclose to Licensee in documented form to the maximum extent possible any improvements, developments or modifications if any made by the Kumaun University to the KNOW-HOW or the PROCESS or the ARTICLE by the Licensor for the benefit of the Licensee as integral part of the KNOW-HOW and/or the PROCESS.
- (iv) लाइसेंसदाता लाइसेंसधारी के अनुरोध और उसकी लागत पर लाइसेंसधारी के स्वामियों और/अथवा उसके ऐसे प्राधिकृत कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगा अथवा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा जो "कुमाऊं विश्वविद्यालय" द्वारा यथापेक्षित आवश्यक अर्हताएं और अनुभव धारण करते हैं|
- (iv) The Licensor may, at the request and at the cost of the Licensee train or arrange to be trained the owner(s) and/or the authorized employees of the Licensee possessing the requisite qualifications and experience as required at the **KUMAUN UNIVERSITY**.

लाइसेंसदाता लाइसेंसधारी के अनुरोध पर पारस्परिक रूप से सहमत निबंधन और शर्तों पर इस लाइसेंस के प्रभावी और त्वरित क्रियान्वयन के लिए लाइसेंसधारी को कोई और अथवा अन्य तकनीकी सहायता उपलब्ध कुराएगा।

The Licensor may at the request of the Licensee provide any further or other technical assistance to the Licensee for effective and expeditious implementation of this License upon mutually agreed terms and conditions.

### ख. <u>लाइसेंसधारी द्वारा</u>:

### B. BY Licensee:

- (i) लाइसेंसधारी लाइसेंस के जारी रहने की अवधि के दौरान और अन्यथा इस लाइसेंस की प्रसंविदाओं और शर्तों का कर्मठता से और निष्ठापूर्वक तथा लाइसेंसदाता की संतुष्टि के अनुसार अनुपालन करेगा।
- (i) The Licensee shall during the continuance of the Licence and otherwise observe and perform the covenants and conditions of this Licence diligently and faithfully and to the satisfaction of the Licensor.
- (ii) लाइसेंसधारी यथाशीध्र अधिकतम संभव परिमाण में लाइसेंसदाता को तकनीकी जानकारी और/अथवा प्रक्रिया और/अथवा वस्तु अथवा उनसे संबंधित या आनुषांगिक किसी अन्य मद के संबंध में समस्त सुधारों, विकासों और आशोधनों के बारे में प्रकट करेगा और उसे प्रलेखीकृत रूप में लाइसेंसदाता को उपलब्ध कराएगा। ऐसा कोई सुधार, विकास अथवा आशोधन तकनीकी जानकारी और/अथवा प्रक्रिया का अभिन्न भाग कारित करेगा तथा यह पूर्णतः लाइसेंसदाता से संबंधित होगा।
- (ii) The Licensee shall promptly disclose and provide to Licensor in documented form to the maximum extent possible, all improvements, developments and modifications in regard to the KNOWHOW and/or PROCESS and/or ARTICLE or related or incidental to any of them. Any such improvements, developments and modifications shall constitute an integral part of the KNOWHOW and/or PROCESS and shall as such belong to the Licensor absolutely.
- (iii) लाइसेंसधारी सदैव ही अपने व्यवसाय के सामान्य स्थान पर रॉयिल्टयों से संबंधित पृथक लेखा बिहयां ऐसे स्वरूप में रखेगा और उनमें ऐसी जानकारियां और विवरण शामिल होंगे, जैसी इस लाइसेंस के सभी अथवा किसी प्रयोजन के लिए, जिसमें इसका खंड 5 भी शामिल हैं, लाइसेंसदाता द्वारा अपेक्षा की जाए।
- (iii) The Licensee shall always keep and maintain at its usual place of business, separate books of accounts relating to the royalties in such form and containing such information and particulars as may be required by the Licensor for all or any of the purposes of this Licence, including Clause 5 hereof.

लाइसेंसधारी समस्त युक्तियुक्त समय पर इस प्रकार अनुरक्षित की गई लेखा बहियों को तथा सभी अन्य प्रासंगिक लेखा बहियों, बीजकों, दस्तावेजों, रसीदों और संबंधित प्रपत्रों, यदि कोई हैं, को लाइसेंसदाता, उसके अधिवक्ताओं अथवा सम्यक्र रूप से प्राधिकृत एजेंटों को प्रस्तुत करेगा और लाइसेंसदाता, उसके अधिवक्ताओं अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेंटों को उसमें से उद्धरणों की प्रतियां लेने की अनुमित देगा तथा लाइसेंसधारी इसके अंतर्गत ऊपर

उल्लेख की गई संदेय रॉयल्टियों की राशि के निर्धारण के लिए लाइसेंसदाता द्वारा यथापेक्षित पूर्ण तकनीकी जानकारी प्रदान करेगा।

- (iv) The Licensee shall at all reasonable times, produce the books of accounts so maintained and all other relevant books of accounts, vouchers, documents, receipts and connected papers, if any, to the Licensor, its attorneys or duly authorized agent(s) and will permit the licensor, its attorneys or duly authorized agent(s) to inspect the same, take copies of extracts there from and the Licensee shall give full information as may be required by the Licensor for determination of the amount of royalties payable hereunder as aforesaid.
- (v) लाइसेंसधारी प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन तथा अक्तूबर के प्रथम दिन से पूर्व लाइसेंसदाता, उसके अधिवक्ताओं अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेंटों को लाइसेंसधारी द्वारा विनिर्मित, भण्डारित और विपणित अथवा अपने प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त वस्तु का एक सत्य और पूर्ण विवरण तथा उस अविध के दौरान वस्तु का एक सत्य और पूर्ण विवरण तथा उस अविध के दौरान वस्तु का कारखाने से बाहर मूल्य, जिसके लिए लाइसेंसदाता को रॉयिल्टियां संदेय हैं, तथा अनुमानित रॉयिल्टियों के परिकलन का एक विवरण संप्रेषित करेगा। ऐसे सभी विवरण लाइसेंसधारी के लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक्र रूप से प्रमाणित होंगे तथा उनकी वैधता सिद्घ और प्रमाणित की जाएगी यदि ऐसी लाइसेंसदाता द्वारा अपेक्षा की गई है।
- (v) The Licensee shall, before first day of April and first day of October every year deliver to the Licensor, its attorneys or duly authorized agents, a true and complete statement of the ARTICLE manufactured, stored and marketed or used for its own purposes by the Licensee and ex-factory sale price of the ARTICLE during the period for which the royalties are payable to the Licensor, as well as a statement of calculations of the estimated royalties. The Auditor of the Licensee shall duly certify all such statements and their validity shall be proven and substantiated, if so required by the Licensor.
- (vi) लाइसेंसधारी वस्तु के विक्रय मूल्य को सामान्यत: अधिक नहीं रखेगा
- (vi) The Licensee shall not keep the sale price of the Article unusually high.

# स्पष्टीकरण /EXPLANATION

लाइसेंसधारी द्वारा स्वयं के उपयोग अथवा उपयोग के लिए प्रयुक्त वस्तुओं का विक्रय मूल्य बेची गई वस्तु, यदि कोई है, का कारखाने से बाहर उच्चतम मूल्य होगा अथवा यह मूल्य होगा जो उसे प्राप्त होता, यदि उसे व्यापारिक विक्रय के अभाव में

बाजार में बेचा जाता।

EVELOR

ADVOCATE
Regd. No. 158228220
EXp.:38:61/2025

Sale price for the articles used for own use or consumption by the Licensee shall be highest ex-factory price of the article if any sold or the price it would fetch if so sold in the market in the absence of merchant sale.


- (vii) लाइसेंसधारी समस्त सुविधाजनक समय पर वस्तु के निरीक्षण, इसके विनिर्माण की पद्घति तथा तकनीकी जानकारी और/अथवा प्रक्रिया के प्रयोग और व्यवहार की रीति का निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ लाइसेंसधारी के संयंत्र अथवा उसके किसी अन्य परिसर, जहां वस्तु इस लाइसेंस के अंतर्गत भंडारित अथवा विक्रय की जाती है, में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस लाइसेंस के उपबंधों का लाइसेंसधारी अनुपालन किया जा रहा है।
- (vii) The Licensee shall permit the Licensor, its attorneys its duly authorized agents and its authorized representative(s) at all convenient times to enter into and upon the PLANT or any other premises of the Licensee in which the ARTICLE is stored or sold under this Licence for the purpose of inspection of the ARTICLE, the method of its manufacture and the manner of use and practice of the KNOWHOW and/or the PROCESS so that it may be ensured that the provisions of this Licence are being complied with by the Licensee.
- (viii) लाइसेंसधारी अपनी स्वयं की लागत पर प्रत्येक वस्तु, डिब्बे अथवा वस्तु के अवयवों और उपांगों को अंतर्विष्ट करने वाले पैकेटों पर एक स्पष्ट रीति से लेबल अथवा प्लेट अथवा उत्कीर्ण लगाएगा जिसमें उत्कीर्णित किया गया होगा "कुमाऊं विश्वविद्यालय", नैनीताल, उत्तराखंड द्वारा विकसित तकनीकी जानकारी तथा एनआरडीसी, नई दिल्ली द्वारा लाइसेंस प्रदत्त\_और इसी प्रकार, वस्तु के संबंध में प्रत्येक विज्ञापन, प्रचार सामग्री/ग्राहक साहित्य/ होर्डिंग आदि पर भी यही सामग्री उपर्युक्तानुसार बड़े अक्षरों में ऐसे विज्ञापनों/प्रचार सामग्री/ग्राहक साहित्य में किसी स्पष्ट स्थान पर शामिल की जाएगी। यदि, लाइसेंसधारी किसी भी रूप में कोई विज्ञापन लगाता है जिसमें इस लाइसेंस करार के अनुसार लाइसेंस प्राप्त वस्तु/उत्पाद के संबंध में कोई नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर अथवा अन्य दस्तावेज और मौखिक रूप से की गई अथवा किसी अन्य रूप से प्रकाश, ध्वनि अथवा धूम्र उत्पादित अथवा संप्रेषित करने के माध्यम से की गई कोई उद्घोषणा शामिल है, तो लाइसेंसधारी सभी ऐसी भारतीय विधियों, नियमों और विनियमों तथा उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों/भारत के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और विज्ञापन में कोई भी दावा बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया जाएगा। लाइसेंसधारी द्वारा ऊपर उल्लिखित ऐसी किसी विधि, नियम, विनियम और दिशा-निर्देश के उल्लंघन के लिए लाइसेंसदाता अथवा "कुमाऊं विश्वविद्यालय" को किसी भी स्थित में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

(viii) The Licensee shall at its own cost offix a label or plate or inscribe in a conspicuous manner upon every article, box or packet containing the ARTICLE its components and spares the legend or inscription "KNOWHOW developed by Kumaun University,

Nainital, Uttarakhand and licensed by NRDC New Delhi" and similarly, every advertisement, publicity material/customer literature/hoardings etc. in respect of the ARTICLE shall include the same legend in bold letters as aforesaid, at a conspicuous place in such advertisements/publicity material/customer literature/hoardings, etc. In case the Licensee puts any advertisement in any form which includes any notice, circular, label, wrapper, or other document and any announcement made orally or by any means of producing or transmitting light, sound or smoke, in respect to the Article / Product licensed as per this license agreement, the Licensee shall ensure compliance of all such Indian Laws, Rules and Regulations and Guidelines issued by the Supreme Court / High Courts / Subordinate Courts of India from time to time and there should not be any exaggerated claims in the advertisement. Under no circumstances for violation of any such Laws, Rules, Regulations and Guidelines as above mentioned by the Licensee, the Licensor or KUMAUN UNIVERSITY shall be held responsible. The Article should not be clubbed or packaged with any other product of the licensee and shall be sold in the market exclusively.

- लाइसेंसी अपने पंजीकृत कार्यालय/संयंत्र में परिवर्तन, यदि कोई है, के बारे में ऐसे परिवर्तन से 15 दिन के भीतर (ix) लाइसेंसदाता को सूचित करेगा तथा उपर्युक्त विनिर्धारित अविध के भीतर लाइसेंसधारी के संघटन के परिवर्तन को भी अधिसूचित करेगा।
- (ix) The Licensee shall notify to the Licensor the change, if any, in its Registered Office/PLANT within 15 days of such change and shall also notify the change in the constitution of the Licensee within the aforesaid stipulated period.
- लाइसेंसधारी अपने स्वयं के नाम से अथवा किसी तीसरे पक्षकार के नाम से एतद्रद्वारा लाइसेंसशुदा तकनीकी (x) जानकारी का पेटेंट प्रदान करने के लिए कोई पेंटेट आवेदन नहीं करेगा तथा यह लाइसेंसदाता अथवा "कुमाऊं विश्वविद्यालय" द्वारा किसी भी समय किए गए किसी पेटेंट आवेदन का संयुक्त रूप से अथवा अलग से विरोध भी नहीं करेगा।
- The Licensee shall not in its own name or in the name of any third party, file any Patent (x) Application for the grant of Patent of the KNOWHOW hereby licensed and shall also not oppose at any time any Patent Application made by the Licensor or KUMAUN





- (xi) लाइसेंसधारी प्रगति से संतुष्ट होने के संकेत के रूप में, "कुमाऊं विश्वविद्यालय" में प्रक्रिया के सफल प्रदर्शन के उपरांत एक प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा।
- (xi) The Licensee shall, in token of his being satisfied of the PROCESS, sign a certificate after successful demonstration of the PROCESS at the **KUMAUN UNIVERSITY**.
- (xii) लाइसेंसधारी संयंत्र् के फोटोग्राफ लेने के लिए लाइसेंसदाता/"कुमाऊं विश्वविद्यालय" के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अनुमित प्रदान करेगा परंतु यह कि इन फोटोग्राफों में कोई प्रक्रिया विवरण अथवा व्यापारिक गोपनीयता प्रकट नहीं की जाएगी।
- (xii) The Licensee shall permit authorized representative(s) of the Licensor/ KUMAUN UNIVERSITY on Licensor's recommendation to visit the plant of the Licensee and photograph the plant provided no PROCESS DETAILS or trade secrets are revealed in these photographs.
- (xiii) लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता की अनुशंसा पर लाइसेंसदाता/अनुसंधान प्रयोगशाला/नए लाइसेंसधारी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को लाइसेंसधारी के संयंत्र का दौरा करने तथा संयंत्र के फोटोग्राफ लेने की अनुमति प्रदान करेगा परंतु यह कि इन फोटोग्राफों में कोई प्रक्रिया विवरण अथवा व्यापारिक गोपनीयता प्रकट नहीं की जाएगी।
- (xiii) The Licensee shall permit authorized representative(s) of the Licensor/ Research Laboratory/New Licensee on Licensor's recommendation to visit the plant of the Licensee and photograph the plant provided no PROCESS DETAILS or trade secrets are revealed in these photographs.

### 7. समाप्ति/TERMINATION

- क. लाइसेंसदाता निम्नलिखित में से सभी अथवा किसी एक घटना की उत्पत्ति पर इस लाइसेंस को तत्काल ही समाप्त कर सकेगा :
- A. The Licensor may terminate this Licence forthwith on the occurrence of all or any of the following events:
- (i) यदि लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता को इसमें दर्शाई गई देय और संदेय राशियों, जिसमें रॉयल्टियां भी शामिल हैं, का संदाय करने में विफल रहता है |

(i) The Licensee fails to pay the Licensor any of the amounts due and payable to it hereunder, including the foralties.

DEVELOPING S.

Regd. No. 169202020 Exp.:36/01/2025

PVT LIMITED

- (ii) लाइसेंसधारी इस लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंसधारी द्वारा अनुपालित और निष्पादित की जाने वाली अन्य प्रसंविदाओं और शर्तों का कोई उल्लंघन करता है तथा उनके घटित होने से 15 दिन के भीतर ऐसे उल्लंघन का सुधार करने में विफल रहता है |
- (ii) The Licensee commits any breach of other covenants and conditions to be observed and performed by the Licensee under this Licence and fails to rectify such breach within 15 days from its occurrence.
- (iii) लाइसेंसधारी अपने उधारदाताओं के साथ कोई करार करता है अथवा इसके परिसमापन की किसी कार्यवाही अथवा प्राप्तकर्त्ता की नियुक्ति अथवा किसी न्यायालय में उसकी आस्तियों/संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही प्रारंभ होने अथवा चलने की स्थिति में |
- (iii) The Licensee enters into composition with its creditors or any proceeding for its liquidation or for appointment of a Receiver or for Attachment of its assets/properties is threatened or initiated in any Court of Law.
- (iv) लाइसेंसधारी समुचित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमितयां और संस्वीकृतियां प्राप्त करने अथवा अनुरक्षित करने में विफल रहता है |
- (iv) The Licensee fails to obtain and maintain the necessary permissions and sanctions from the appropriate authorities.
- (v) लाइसेंसधारी प्रभावी तारीख से बारह माह के भीतर अपने संयंत्र/कारखाने में वस्तु का विनिर्माण प्रारंभ करने में विफल रहता है अथवा यदि लाइसेंसधारी विनिर्धारित अविध अर्थात् निर्पाय करने ये २०२३ तक लाइसेंसधारी के नियंत्रण से बाहर अपरिहार्य परिस्थितियों और कारणों के चलते उत्पादन स्थापित करने में असफल रहा है, तो लाइसेंसधारी तारीख की समाप्ति से पूर्व समय-सीमा के विस्तार के लिए विस्तृत कारण देते हुए लिखित में एक अनुरोध करेगा। इस अनुरोध की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी और लाइसेंसदाता द्वारा इस पर विचार किया जाएगा तथा उसके उपरांत लाइसेंसदाता द्वारा इस पर निर्णय दिया जाएगा। इस संबंध में लाइसेंसदाता का निर्णय अंतिम होगा तथा वह लाइसेंसधारी के लिए आबद्घकारी होगी।
- TWELVE MONTHS from the EFFECTIVE DATE or in the event the Licensee is unable to set up production within stipulated period, viz.

  18th January 2023 due to unavoidable circumstances and causes beyond the control of the Licensee the Licensee shall make a request in writing for extension of the time limit before the expiry of the date, giving detailed reasons. The request will be carefully examined and considered by the Licensor and then decided on by the Regal No. 1532822517

HI WALL

HEXORP INDUSTRIES

Licensor. The decision of the Licensor in this regard shall be final and binding on the Licensee.

- (vi) लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता से इस संबंध में पूर्व लिखित अनुमति अथवा विस्तार प्राप्त किए बिना <u>बारह माह</u> से अधिक की अविध के लिए वस्तु के विनिर्माण को निलंबित अथवा बंद कर देता है।
- (vi) The Licensee suspends or discontinues manufacture of the ARTICLE for a period exceeding 12 months without obtaining prior written permission or extension in this regard from the Licensor.
- (vii) लाइसेंसधारी तकनीकी जानकारी/प्रक्रियाओं को प्रकट करता है अथवा आगे प्रदान करने की धमकी देता है तथा तद्नुसार वस्तु को बेचता अथवा उसका विक्रय करता है |
- (vii) The Licensee represents or threatens to pass off the KNOWHOW/ PROCESS and sells and vends the ARTICLE accordingly.
- (viii) लाइसेंसधारी, यथास्थिति, लाइसेंसदाता के विनिर्देशनों अथवा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) विनिर्देशनों के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता को अनुरक्षित करने में विफल रहता है।
- (viii) The Licensee fails to maintain quality of the product as per specifications of the Licensor or BIS specifications as the case may be.
- ख.(i) लाइसेंसधारी, लाइसेंसदाता को एक माह का नोटिस देते हुए तथा उसके लिए कारणों को निर्दिष्ट करते हुए इस लाइसेंस को समाप्त करने का अनुरोध भी कर सकेगा, परंतु यह कि लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंसदाता को नोटिए दिए जाने की तारीख तक देय अथवा संदेय किसी बकाया ब्याज के साथ लंबित रॉयल्टी की राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा एक वचन प्रस्तुत किया है कि लाइसेंसधारी तकनीकी जानकारी/प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करेगा जिसमें उसमें किए गए सुधार विकास और आशोधन अथवा उनसे आनुषंगिक अन्य प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।
  - B (i) The Licensee may also request to Licensor to terminate this licence by giving one month notice and specifying the reasons thereof provided that the royalty amount together with overdue interest, if any, due and payable till the date of notice by the Licensee to the Licensor is fully paid and furnished an undertaking that the Licensee shall not use and practice of the KNOWHOW and the PROCESS including any improvements, developments and modifications or incidental to any of them.

- (ii) इसमें उपबंधित लाइसेंस की समाप्ति पर, लाइसेंसधारी तकनीकी जानकारी और प्रक्रियाओं का प्रयोग और व्यवहार करने का अधिकार रखना छोड़ देगा तथा लाइसेंसदाता अथवा उसके नामिती को ऐसे समय के भीतर, जो लाइसेंसदाता द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, समस्त तकनीकी जानकारी, आंकड़ें अथवा दस्तावेज वापस लौटा देगा, परंतु यह कि ऐसी समाप्ति किसी भी स्थिति में, लाइसेंसधारी को, इसके खंड 4 और खंड 5 (ii) के निबंधनों के अधीन उसके दायित्वों और देयताओं से विमुक्त नहीं करेगी।
- (ii) Upon termination of the Licence as herein provided, the Licensee shall cease to have any right to use and practice of the KNOWHOW and the PROCESS and shall return to the Licensor or its nominee all information, data or documentation within such time as may be specified by the Licensor. Provided that such termination shall not in any event, discharge the Licensee of its obligations and liabilities under and in terms of Clause 4 and Clause 5 (ii) hereof.
- (ग) इस खंड 7 की कोई भी बात इस लाइसेंस करार के अंतर्गत अथवा विधि में लाइसेंसदाता के अन्य अधिकारों और उपचारों को समाप्त अथवा संक्षिप्त नहीं करेगी।
- B. Nothing in this Clause 7 shall annul or abridge other rights and remedies of the Licensor under this License or in law.

### 8. अधित्याग/WAIVER

- क. लाइसेंसदाता द्वारा किसी भी रीति में लाइसेंसधारी के प्रति दर्शाई गई आसक्ति लाइसेंसधारी के विरूद्घ इसके अधिकारों और उपचारों का अधित्याग गठित नहीं करेगी। लाइसेंसदाता द्वारा लाइसेंसदाता के किसी अधिकार का अधित्याग, यदि कोई है, अथवा किसी लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस के किसी निबंधन, शर्त अथवा देयता का उल्लंघन किसी भी स्थिति में, यथास्थिति, किसी पश्चात्रवर्ती अधिकार अथवा उपचार अथवा उल्लंघन किसी भी स्थिति में समान और विभिन्न प्रकृति के किसी अन्य अधिकार अथवा उपचार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
- A. Any indulgence shown by the Licensor to the Licensee in any manner shall not constitute waiver of its rights and remedies against the Licensee. The waiver, if any, by the Licensor, of any right of the Licensor or of any breach by Licensee of any term, condition or obligation of this License shall not in any event be construed as a waiver of any subsequent right or remedy or breach as the case may be or of any other right or remedy or breach of the same or different nature.

ख. यहां उल्लिखित कोई भी पक्षकार अन्य प्रक्षकार का कोई एजेंट अथवा प्रतिनिधि नहीं माना जाएगा।

B. None of the parties here to shall be construed as an agent or representative of the other



ADVOC- E NC7 (AL. 3) Regd. No. 163237019 Exp.:30/61/2025

- ग. लाइसेंसधारी एतद्द्वारा इसके निबंधनों के अनुसार अथवा विधि द्वारा उत्पन्न अथवा संविदा में अथवा हानि में अथवा अन्यथा वारंटियों और गारंटियों की किसी अपेक्षा का अधित्याग करता है, जिसमें वस्तु की गुणवत्ता अथवा वाणिज्यिकता अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए तकनीकी जानकारी और/अथवा प्रक्रिया की उपयुक्तता; उपयोगिता अथवा संचालनीयता के संबंध में कोई सदृश वारंटी अथवा गारंटी भी शामिल है।
- C. The Licensee hereby waives any requirement of warranties and guarantees, in terms hereof, or arising by law or in contract or tort or otherwise, including any implied warranty or guarantee as regards the quality or merchantability of the ARTICLE or fitness, utility or the workability of the KNOWHOW and/or the PROCESS for any purpose whatever.

### 9. नोटिस /NOTICES

इस लाइसेंस के निबंधनों के अंतर्गत लाइसेंसधारी को दिए जाने वाले सभी नोटिस सम्यक् रूप से दिए गए माने जाएंगे यदि उन्हें व्यवसाय अथवा पंजीकृत कार्यालय के अंतिम ज्ञात स्थान पर दिया गया हो, छोड़ा गया हो अथवा लाइसेंसी को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा भेजा गया हो।

All notices required to be served on the Licensee under the terms of this Licence shall be deemed to be duly served if the same shall have been delivered to, left with or posted by Registered Mail to the Licensee at its last known place of business or the Registered Office.

## 10. समग्र करार / ENTIRE AGREEMENT

लइसेंसधारी पक्षकारों के बीच सहमत निबंधनों द्वारा एकमात्र निक्षेपकारी होगा तथा उसका कोई भी संशोधन प्रभावी नहीं होगा तथा तब तक लाइसेंसदाता पर आबद्घकारी नहीं होगा, जब तक ऐसा संशोधन लाइसेंसदाता के प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत नहीं कर दिया जाता तथा इसे लिखित रूप में अभिलेखित किया जाएगा और इस पर लाइसेंसधारी और लाइसेंसदाता, दोनों के हस्ताक्षर होंगे। लाइसेंसदाता से लाइसेंस अर्जित करने का आवेदन प्ररूप इस लाइसेंस करार का भाग बनेगा।

This Licence shall be the sole repository of the terms agreed to between the parties and no amendment thereof shall take effect and will be binding on the Licensor unless such amendment is authorized by the Chief (Business Development) of the Licensor and is recorded in writing and signed by both Licensee and the Licensor. The Application Form for acquiring Licence from the Licensor shall form a part of the Agreement.

# 11. व्यावृत्ति उपबंध / SAVING PROVISIONS

(क) इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, लाइसेंसदाता के पास सदैव केंद्रीय सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, एजेंसी अथवा उपक्रम को प्रयोग और अथवा आगे अनुसंधान अथवा उसका विकास करने के प्रयोजनार्थ तकनीकी जानकारी और अथवा सार्यक्षी प्रक्रिया को प्रकट करने अथवा प्रदान करने का अधिकार होगा तथा ऐसी रीति से वस्तु

S.P. PANDEY
ADVOCATE
NOT LATELY 20.
Regd. No. 163299920
Exp. 136/81/2025

- को बनाने अथवा विक्रय करने का अधिकार भी होगा जो केंद्रीय सरकार 'सरकारी प्रयोजनों' अथवा अन्यथा सार्वजनिक हित में निर्णय लें।
- A. Notwithstanding anything herein contained, the Licensor shall always have the right to disclose and provide to the Central Government or its authorized representative, agency or undertaking, the KNOWHOW and/or the related PROCESS, to use and practice the same for the purpose of experimentation and/or further research or development thereof, with the right to sell and vend the ARTICLE in such manner as the Central Government may, in its judgment decide, for "Government purposes", or otherwise in public interest.
- (ख) इसमें उल्लेखित लाइसेंसदाता के अधिकार संचयी हैं तथा पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।
- B. The rights of the Licensor hereunder are cumulative and not mutually exclusive.
- 12. माध्यस्थम और अधिकारिता / ARBITRATION AND JURISDICTION
- क. (i) यदि इस लाइसेंस करार के किसी उपबंध के निर्माण, निर्वचन, प्रभाव अथवा विविक्षा के बारे में, जिसमें किसी पक्षकार के दूसरे के विरूद्घ अधिकार अथवा देयताएं अथवा कोई अन्य दावा या मांग अथवा इन उपस्थितियों के अंतर्गत जिसमें इस लाइसेंस करार में स्पष्ट रूप से उपबंधित कोई अन्य मामला, निर्णय या विनिर्धारण शामिल नहीं हैं, किसी अन्य मामलों के संबंध में कोई विवाद अथवा विभेद उत्पन्न होता है, तो ऐसे विवादों अथवा विभेदों का निपटान दोनों पक्षकारों की सहमित से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (डीएसी) के माध्यस्थम पैनल में से नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र माध्यस्थम द्वारा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत किया जाएगा जिसके विफल रहने पर पीडि़त पक्ष माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर यथा संशोधित/आशोधित) और तत्समय प्रवृत्त (अधिनियम) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा तथा माध्यस्थम के लिए संदर्भ का अर्थ इस अधिनियम के अर्थ के अधीन प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।
- A. (i) If any dispute or difference arises between the parties hereto as to the construction, interpretation, effect and implication of any provision of this Licence including the rights or liabilities or any claim or demand of any party against other or in regard to any other matter under these presents but excluding any matters, decisions or determination of which is expressly provided for in this Licence Agreement, such disputes or differences shall be settled under the Rules of Delhi International Arbitration Centre, New Delhi by Sole Arbitrator to be appointed out of the Panel of Arbitrators of Delhi International Arbitration Centre (DAC) with the consent of both the parties failing which the aggrieved party shall approach to the Court of Competent truisdiction for the appointment of Sole Arbitrator in accordance with the Arbitration & Conciliation Act, 1996 (as amended/modified from time to time) and rules framed

thereunder for the time being in force (the ACT) and the reference to arbitration shall be deemed to be submission within the meaning of the ACT.

- (ii) तथापि, यदि लाइसेंसी उस तारीख, जिसको ऐसी मांग अथवा दावा उत्पन्न हुआ है, से एक वर्ष के भीतर इस खंड के निबंधनों के अनुसार कोई दावा या मांग नहीं करता है | कोई विवाद अथवा विभेद उत्पन्न नहीं करता है, तो 'लाइसेंसी' ऐसे दावे अथवा मांग से अथवा अन्य पक्षकार के विरूद्घ ऐसा विवाद अथवा विभेद उत्पन्न करने के अधिकार से दूर अथवा परितत्य माना जाएगा।
- (ii) If however, the Licensee does not make any claim or demand or raise any dispute or difference in terms of sub-clause (i) of this Clause 12 within one year from the date on which such claim or demand arises, the Licensee shall deem to have waived and abandoned such claim or demand or the right to raise such dispute or difference against the Licensor.
- (iii) (क) माध्यस्थम का स्थान नई दिल्ली में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र में होगा और मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।
- (iii) (a) The venue of the arbitration shall be at Delhi International Arbitration Centre at New Delhi and the language of arbitration proceedings shall be English.
  - (ख) प्रत्येक पक्षकार माध्यस्थम कार्यवाहियों की अपनी स्वयं की लागत का वहन और संदाय करेगा जब तक माध्यस्थम ने पंचाट में अन्यथा निर्णय न दिया हो।
  - (b) Each party shall bear and pay its own cost of the arbitration proceedings unless the Arbitrator otherwise decides in the Award.

(ग) इस खंड के उपबंध इस लाइसेंस के होते हुए विफल, रद्द अथवा अप्रभावी नहीं होंगे तथा ये समाप्त अथवा विद्यमान रहना समाप्त अथवा परिसमाप्त अथवा प्रतिसंहत नहीं होंगे अथवा इन्हें गैर-विधिपूर्ण घोषित नहीं किया जाएगा।

(c) The provisions of this Clause shall not be frustrated, abrogated or become inoperative, notwithstanding this Licence Agreement expires or ceases to exist or is terminated or revoked or declared unlawful.

नई दिल्ली में उच्च न्यायालय और इसके अधीनस्थ न्यायालयों को इस करार से संबंधित सभी मामलों जिनमें माध्यस्थम कार्यवाहियों के कारण उत्पन्न किसी मामले अथवा उसके अधीन किए गए किसी पंचाट से जुड़े मामलों पर अनन्य अधिकारिता होगी।



- B. The High Court of Delhi at New Delhi and Courts subordinate to it shall have exclusive jurisdiction in all matters concerning this Licence Agreement, including any matter arising out of the Arbitration Proceedings or any Award made therein.
- 13. लाइसेंस समझौता दो मूल में तैयार किया गया है ताकि प्रत्येक पार्टी के संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए एक मूल हो।
- 13. The license agreement has been prepared in two originals so that each party may have one original for its reference and record.

उपरोक्त करार को साक्षी रखते हुए लाइसेंसदाता और लाइसेंसधारी ने ऊपर उल्लिखित दिन, माह और वर्ष को यह करार हस्ताक्षरित किया है।

IN WITNESS WHEREOF the Licensor and the Licensee have executed these presents the day, month and year first above written.

# लाइसेंसदाता के लिए तथा उसकी ओर से / FOR AND ON BEHALF OF THE LICENSOR

निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित / SIGNED BY

कमोडोर अमित रस्तोगी

Cmde.Amit Rastogi (Retd)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनआरडीसी

Chairman and Managing Director

कमोडीर अमित रस्तीगी (सेवानिवत)

(Cmde Amit Rastogi (Retd))

और /And

श्री आर.के. नांगिया

Shri R. K. Nangia

कंपनी सचिव-नामनिर्दिष्ट

poplingra, (श्री आर.के. नांगिया)

(Shri. R.K. Nangia)

New Delhi

Company Secretary (D)



9 JAN 2022



निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में।

In the presence of:

हस्ताक्षर /Signature

नाम /Name

पता /Address

CAMICABLE MISHRAD NRAC, Wew Delle

2. हस्ताक्षर/Signature

नाम Name Ashwar Kymas

पता/Address NRDC, New Delhi

लाइसेंसधारी के लिए तथा उसकी ओर से / FOR AND ON BEHALF OF THE LICENSEE

# निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित /SIGNED BY

श्री अक्षत शाह

Shri. Akshat Shah

निदेशक

Director

मै. हेक्सोर्प इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड/ M/s. Hexorp Industries Pvt. Ltd.

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में:

In the presence of:

हस्ताक्षर /Signature

Saha Sheet

नाम /Name

ESHA SHAH.

पता /Address

86, Ramsey Road. Tallier Pairital.

हस्ताक्षर /Signature

TH Wame

ess 86, Romsey Road
Tallital, Navinteet - 263002 dress

श्री अक्षत शाह

Shri. Akshat Shah

### **SCHEDULE - I**

प्रक्रिया का नाम: प्लास्टिक अपशिष्ट से ग्रेफीन विनिर्माण की प्रविधि Name of the Process: "A Process for manufacturing of Graphene from Waste Plastic"

विकासकर्ताः "कुमाऊं विश्वविद्यालय", स्लीपी हॉलो, नैनीताल - कालाडुंगी रोड, अयारपट्टा, नैनीताल, उत्तराखंड DEVELOPED BY: Kumaun University, Sleepy Hollow, Nainital - Kaladungi Road, Ayarpatta, Nainital, Uttarakhand

श्री अक्षत शाह

Shri. Akshat Shah

निदेशक

Directo

HEXORP INDUSTRIES



श्री आर.के. नांगिया

(Shri. R. K. Nangia)

कंपनी सचिव-नामनिर्दिष्ट

Company Secretary (D)

# अनुसूची- | SCHEDULE - II

## प्रविधि की तकनीकी जानकारी /PROCESS KNOWHOW:

- 1. "कुमाऊं विश्वविद्यालय" द्वारा विकसित प्लास्टिक अपशिष्ट से ग्रेफीन विनिर्माण की प्रविधि के निर्माण हेतु प्रविधि की तकनीकी जानकारी का विवरण जिसमें शामिल है:
- 1. Process know how manual for the manufacture of "A Process for manufacturing of Graphene from Waste Plastic" as developed by KUMAUN UNIVERSITY consisting of:
  - i) "कुमाऊं विश्वविद्यालय" में विकसित प्रयोगशाला स्तर की प्रविधि से संबंधित डाटा
  - i) Laboratory scale process data as developed at the KUMAUN UNIVERSITY
  - ii) उत्पाद के निर्माण हेतु संयंत्र व मशीनरी के लिए सामान्य संस्तुति
  - iii) General Recommendation for plant and machinery for manufacturing the product
- 2. लाइसेंसधारी के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, जो निर्धारित योग्यता और अनुभव के अनुसार **"कुमाऊं विश्वविद्यालय"** द्वारा निर्धारित अविध के लिए 10 (दस) दिन से अधिक नहीं है, समय पर और **"कुमाऊं विश्वविद्यालय"** के लिए सुविधाजनक है।
- 2. Training of representatives of the Licensee possessing prescribed qualifications and experience as suggested by KUMAUN UNIVERSITY for a period not exceeding 10 (Ten) man days, at time and place convenient to the KUMAUN UNIVERSITY.

HEXORP INDUSTRIES
PVT. LIMITED

श्री अक्षत शाह

Shri. Akshat Shah

निदेशक

Director

PUBICO PROBLEM CONTROL OF THE PUBLISHED PUBLIS

plotte grain

(Shri. R. K. Nangia)

कंपनी सचिव-नामनिर्दिष्ट

Company Secretary (D)

New Delhi